परिचालन विभाग के अधिकारियों एवं वरि. अधीनस्थों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

1. वरि. मंडल परिचालन प्रबन्धक

i. उत्तर पश्चिम रेलवे की शक्तियों की अनुसूची द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग

ii. पूरे मंडल पर गाडियों के परिचालन कार्य की निगरानी

iii. गाडियों के सुगम परिचालन के लिए अन्य मंडलों/मंडलीय विभाग के अधिकारियों से नजदीकी सांमजस्य रखना

iv. प्रधान कार्यालय के अधिकारियों को गाडी परिचालन की स्थिति से अवगत रखना

2. मंडल परिचालन प्रबन्धक (सामान्य)

i. उत्तर पश्चिम रेलवे की शक्तियों की अनुसूची द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग

ii. स्टेशन संचालन नियम

iii. आवश्यक उपकरणों की आपूर्ती पर नजदीकी से ध्यान रखना

iv. ग्रीन नोटिस, इंजीनियरिंग कार्य व ओवर हालिंग कार्यो इत्यादि की निगरानी रखना

v. संरक्षा निरीक्षणों की नजदीकी निगरानी

vi. नजदीकी मंडलों व मुख्यालयों से सम्बन्ध बनाये रखना

3. मंडल परिचालन प्रबन्धक (फ्रेट)

i. उत्तर पश्चिम रेलवे की शक्तियों की अनुसूची द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग

ii. मंडल की मालगाडियों की निगरानी

iii. टर्मिनल प्रबन्धन प्रणाली की नजदीकी निगरानी

iv. आसपास के मंडलों व मुख्यालयों से सम्बन्ध बनाये रखना

4. सहायक परिचालन प्रबन्धक (कोचिंग)

i. उत्तर पश्चिम रेलवे की शक्तियों की अनुसूची द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग

ii. मंडल पर कोचिंग प्रबन्धन पर नजर रखना

iii. कोचिंग संचालन सूचना प्रबन्धन का नजदीक ध्यान रखना

iv. आसपास के मंडलों व मुख्यालयों से सम्बन्ध बनाये रखना

v. गाडियों की समयाबद्धता का ध्यान रखना

5.मुख्य नियंत्रक (प्रभारी)

i. माल व कोचिंग परिचालन का ध्यान रखना
ii. एफओआईएस, सीओआईएस एवं पाम में गाडियों की प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करना
iii. दुर्घटनाओं के मामले सर्वसम्बन्धित को समय पर सूचित करना और दुर्घटना लॉग बुक सही ढंग से अनुरक्षित रखना सुनिश्चित करना
iv. नियंत्रण कार्यालय का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण

6. स्टेशन मास्टर

i. गाडी परिचालन पर्यवेक्षण व यह सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित कर्मचारी स्टेशन संचालन नियम के अनुसार कार्य कर रहा है ।
ii. गाडियों की समयबद्धता व सुगम परिचालन को सुनिश्चित करना
iii. किसी असामान्य घटना/विफलता को तुरन्त कंट्रोल/अधिकारियों को सूचित करना
iv. यात्रियों की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाना
v. यह सुनिश्चित करना कि कार्य के लिए सक्षम कर्मचारियों को लगाया गया है
vi. स्टेशन रिकार्ड को उचित ढंग से रखना
vii. स्टेशन पर अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन का पर्यवेक्षक करना

7. यातायात निरीक्षक

i. स्टेशनों व सेक्शन का निरीक्षण गंभीरता से करें
ii. अनुशासन व अपील जांच करना
iii. अपने क्षेत्राधिकार में कर्मचारियों का प्रबन्धन करना
iv. नियम के अनुसार परिचालन कर्मचारियों को शिक्षित व पर्यवेक्षण करना
v. शिकायतों /परिचालन समस्याओं उच्च अधिकारियों को बताना
vi. अपने क्षेत्राधिकार के स्टेशनों के डाटा अपडेट रखना

8. कार्यालय अधीक्षक

i. मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय के परिचालन शाखा में सम्पूर्ण पर्यवेक्षण करना
ii. प्रधान कार्यालय / मंडल कार्यालय के पत्रों के शीघ्रता से जवाब देना
iii. आवश्यक सूचनाओं को समय पर प्रधान कार्यालय को भिजवाना
iv. फाइलों पर लगातार नजर रखना ताकि बिना वजह विलम्ब ना हो
v. रेलवे बोर्ड/प्रधान कार्यालय/मंडल स्तर के सभी निर्देशों को सम्बन्धित स्टाफ को समय पर परिपत्रित करना
vi. कोर्ट केस मामले/ऑडिट (लेखा) पैरा/निरीक्षणों पर समय से कार्यवाही करना
vii. प्रशासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य